सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 150/18</u> निर्णय दिनांकः—07.08.2019

1. अब्दुल खॉ पुत्र इमाम खॉ
2. पिचु पुत्री इमामखॉ
जाति मुसलमान निवासी बीकमपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—2013
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

<u>उपस्थितिः—</u>
1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू के आदेश दिनांक 22—03—2013 जिसके द्वारा अपीलांट का नियमन का प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को 1971 में ग्राम बीकमपुर के खसरा नम्बर 441 में 40 बीघा बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन को अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये एकतरफा तौर पर खारिज

कर दिया गया। उक्त भूमि को खारिज होने के कारण पत्रावली जनसुनवाई लोक अदालत कैम्प बीकमपुर में दिनांक 30—11—2007 को आवंटन सलाहकार समिति जोकि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नम्बर 3, एमएलए, विधानसभा क्षेत्र कोलायत, प्रधान पंचायत समिति, कोलायत द्वारा पुनर्विचार कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4(16)उप/98 दिनांक 16—04—2007 एवं 02—05—2006 की पालना में विहित राशि जमा कराने की शर्त पर टीसी आवंटन बहाल करते हुए पुख्ता आवंटन की अनुशंषा की गई।

उक्त अनुशंषा के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा छह वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई व राज्य सरकार व आयुक्त माहेदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा दिनांक 22—03—2013 को अपीलांट का पुख्ता आवंटन यह कथन करते हुए खारिज कर दिया गया कि उक्त आवंटन दिनांक 16—07—1979 को निरस्त कर दिया गया है तथा उक्त निरस्ती आदेश के विरूद्व कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई उक्त निरस्ती आदेश अन्तिम हो चुका है। जबकि उक्त आदेश को जनसुनवाई में बहाल करते हुए पुख्ता आवंटन के आदेश प्रदान कर दिये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट्स को नोटिस व सूचना दिये मनमाने तरीके से खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। प्रकरण में अपीलांट के पास उक्त भूमि का कब्जा नियमन कराने व नियमानुसार राशि जमा करवाने का ही एकमात्र विकल्प है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान

किये बिना मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2013 के विरूद्व अपील दिनांक 24—01—2018 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन के निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्व कोइ विधिक कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रकरण को खारिज किया गया है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को किया गया टीसी आवंटन को काश्त के अभाव में निररस्त कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा 28 वर्ष बाद उक्त आवंटन को बहाल करने तथा पुख्ता आवंटन के लिए पुनः आवेदन करने पर लोक अदालत दिनांक 30—11—2007 को आयुक्त उपनिवेशन की अध्यक्षता में गठित कमेटी में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16—04—2007 तथा 02—05—2006 की पालना में विहित राशि जमा कराने की शर्त पर ग्राम बीकमपुर के खसरा नम्बर 339/2 की 50 बीघा बारानी भूमि का टीसी आवंटन बहाल करने की अनुशंषा की गई।

इसके पॉच वर्ष उपरान्त सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बज्जू ने दिनांक 22—03—2013 को अपीलांट को किये गये टीसी आवंटन को दिनांक 16—03—1979 को निरस्त होने के हवाले से आवंटन की

कार्यवाही बन्द कर दी गईं। उक्त आदेश में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 02—05—2006 तथा 16—04—2007 को जारी आदेश तथा उक्त आदेशों के अनुसरण में दिनांक 30—11—2007 को सक्ष्म स्तर की कमेटी की अभिशंषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अपीलाधीन आदेश में दिनांक 16—03—1979 के निरस्तीकरण आदेश के विरूद्व कोई विधिक कार्यवाही नहीं करने के कारण उक्त आदेश को अंतिम आदेश मानकर अपीलांट की दरखवाश्त खारिज कर दी गई। जबकि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने वर्ष 1984 में जारी आदेश को निरस्त करते हुए विहित राशि जमा कराने की शर्त पर टीसी नवीनीकरण का निर्णय किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने उक्त आदेश का उल्लेख किये बिना अपीलार्थी के पक्ष में पुख्ता आवंटन की कार्यवाही को बन्द कर आवंटन नियमों एवं राज्य सरकार की आज्ञा का उल्लंधन किया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02—05—2006 व 16—04—2007 तथा लोक अदालत दिनांक 30—11—2007 में कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर